न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी।

पीठासीन अधिकारी– शिव कुमार सिंह (एच0जे0एस0)

I.D. No- UP 5743

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–600/2026

कम्प्यूटर पंजीकरण सं0–1410/2026

(CNR UPLP 01002828-2026)

दुर्गेश यादव उम्र 22 वर्ष पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम सिसोकन थाना मोहम्मदी, जिला लखीमपुर–खीरी।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

मु0अ0सं0–169/2026,
धारा–137(2), 87 बी0एन0एस0,
थाना–मोहम्मदी,
जिला लखीमपुर–खीरी।

06.05.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त दुर्गेश यादव की ओर से मुकदमा अपराध सं0–169/2026, धारा–137(2), 87 बी0एन0एस0, थाना–मोहम्मदी, जिला लखीमपुर–खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

3– तहरीर के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सतेन्द्र पाल यादव द्वारा सम्बन्धित थाने पर दिनांक 31.03.2026 को इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि विपक्षी दुर्गेश यादव उसकी पुत्री/पीड़िता उम्र करीब 17 वर्ष को बहला–फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है। उसने काफी खोजबीन की परन्तु उसकी पुत्री का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा–137(2), 87 बी0एन0एस0 में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा मामले की विवेचना अभी प्रचलित है।

4– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है और न ही वह किसी को बहला–फुसलाकर ले गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त वाद में झूँठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त एक

सीधा–सादा व्यक्ति है तथा बीफार्मा का छात्र है। प्रार्थी/अभियुक्त के घर में उसके माता–पिता के अलावा कोई कमाने वाला नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को थाना मोहम्मदी की पुलिस द्वारा दिनॉक–01.04.2026 को घर से बुलाकर लायी और उक्त घटना में दिनॉक–03.04.2026 को चालान कर दिया। प्रार्थी/अभियुक्त के पास से लड़की की बरामदगी नहीं हुयी है और न ही वह किसी को भगाकर ले गया है, इसलिए घटना सही नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना का समय अंकित नहीं है और न ही कोई स्वतंत्र साक्षी है, जिससे प्रतीत होता है कि घटना संदेहास्पद है तथा फर्जी एवं बनावटी है। वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह नहीं दर्शाया गया है कि वादी की पुत्री कब और कहॉ से गयी है, इससे भी घटना फर्जी प्रतीत होती है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है तथा जमानत पर रिहा होने के बाद अपनी जमानत सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगा तथा न्यायालय में नियत तारीख पेशी पर हाजिर अदालत आता रहेगा। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। स्वीकृत रूप से पीड़िता अवयस्क है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पीड़िता को बहला–फुसलाकर भगाया गया है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6– जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित कथनानुसार प्रार्थी/अभियुक्त दुर्गेश यादव वादी की पुत्री/पीड़िता उम्र करीब 17 वर्ष को बहला–फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। वादी ने काफी खोजबीन की परन्तु उसकी पुत्री का कुछ भी पता नहीं चला। केस डायरी में पीड़िता के हाईस्कूल के अंकपत्र की नकल अंकित है, जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि 02.08.2008 अंकित है, जिसके अनुसार पीड़िता घटना की तिथि तक लगभग 17 वर्ष 07 माह की अवयस्क थी। यद्यपि कि पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी0एन0एस0एस में प्रार्थी/अभियुक्त को दो वर्षो से जानने, अपनी मर्जी से जाने तथा किसी प्रकार का कोई गलत काम न होने का कथन किया है। पीड़िता ने बयान अन्तर्गत धारा–183 बी0एन0एस0एस0 में कथन किया है कि दिनॉक–30.03.2026 को भोर में 02:00 बजे वह गॉव के बाहर खेत में गयी थी, वह दुर्गेश से मिलने

गयी थी, दुर्गेश ने उसे फोन करके बुलाया था। वह दुर्गेश से प्यार करती है। वह प्यार करती थी पर उसका दुर्गेश से मिलने का कोई इरादा नहीं था। दुर्गेश के दोस्त अनुराग ने 29.03.2026, को फोन पर उसे डराया था, कहा था कि तुम्हारी फैमिली को जेल भेज देंगे, मार देंगे। वह उसे दुर्गेश के साथ भेजने का दबाव बना रहा था, इसी डर से वह दुर्गेश से मिलने चली गयी थी। इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी0एन0एस0एस0, में कथन किया है कि वह पीड़िता को पहले से जानता है, जिससे वह प्रेम करता है। पीड़िता बालिग है या नाबालिग, यह उसे नहीं पता था। वह पीड़िता से शादी करना चाहता था, इसलिए उसकी मर्जी से ही उसे शादी करने के लिए साथ ले गया था। चूंकि पीड़िता स्वीकृत रूप से अवयस्क है, ऐसी दशा में अवयस्क पीड़िता की सहमति अथवा असहमति महत्वहीन है। अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। मामले की विवेचना अभी प्रचलित है। ऐसे में अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने का आधार पर्याप्त नहीं है। मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का, मैं उचित एवं संतोषजनक आधार नहीं पाता हूँ।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त दुर्गेश यादव की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। जमानत आदेश की प्रति प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाय।

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर–खीरी।

दिनांक 06.05.2026

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.05.11 19:26:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court